

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1712 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 09/07/2020


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24-01-2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 01-04-2008, दिनांक 04-08-2008 तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 07-11-2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 30-10-2010 तथा परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 30-09-2014 के परिपेक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके द्वारा 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30-10-2010 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई दिनांक से प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 30-09-2014 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई दिनांक से तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक
1.	श्री रमेश पटेल	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	02-08-2017	-	-
2.	श्री राजकुमार कनौजिया	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	26-09-2018	-	-
3.	श्री ओमप्रकाश बाल्मीक	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	26-09-2018	-	-

4

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक
4.	श्री विवेक कुमार मिश्रा	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	08-10-2019	-	-
5.	श्री सुरेश कुमार कुशवाहा	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	08-10-2019	-	-
6.	श्री रमेश कुमार विश्वकर्मा	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	07-10-2019	-	-
7.	श्री संजय कुमारे	फर्राश	27-10-2019	-	-
8.	श्री रंजीत कुमार शुक्रवारे	सफाईवाला	07-11-2019	-	-
9.	श्री विजय सौधिया	चौकीदार	20-10-2019	-	-
10.	श्री गुलाब राव बागद्रे	अशर	-	21-04-2019	-
11.	श्री सुरजन बर्मन	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	-	-	21-08-2019
12.	श्री कैलाश प्रसाद पटेल	अशर	-	-	21-08-2019
13.	श्री मथुरा प्रसाद	अशर	-	-	01-11-2018
14.	श्री सुदर्शन प्रसाद काछी	अशर	-	-	01-11-2018
15.	श्री धनेश तिवारी	अशर	-	-	01-11-2018
16.	श्री देवदत्त तिवारी	अशर	-	-	10-08-2019

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Pan


पृष्ठांकन क्रमांक C/1713 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 09/07/2020

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर
2. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./आई.एल./एक्जाम एवं लेबर ज्यूडीशरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार -----, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार -----, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/सतर्कता/आई.एल.आर. एण्ड एकजाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. सहायक सेवा पुस्तिका एवं वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि उच्चतर वेतनमानों में कर्मचारियों का वेतन नियतन पश्चात् वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए।
13. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. श्री रमेश पटेल, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्री राजकुमार कनौजिया, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्याया. म.प्र., जबलपुर,
17. श्री ओमप्रकाश बाल्मीक, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्याया. म.प्र., जबलपुर,
18. श्री विवेक कुमार मिश्रा, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्याया. म.प्र., जबलपुर,
19. श्री सुरेश कुमार कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्याया. म.प्र., जबलपुर,
20. श्री रमेश कुमार विश्वकर्मा, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्याया. म.प्र., जबलपुर,
21. श्री संजय कुमरे, फर्शा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
22. श्री रंजीत कुमार शुक्रवारे, सफाईवाला, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
23. श्री विजय सौधिया, चौकीदार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
24. श्री गुलाब राव बागद्रे, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
25. श्री सुरजन बर्मन, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
26. श्री कैलाश प्रसाद पटेल, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
27. श्री मथुरा प्रसाद, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
28. श्री सुदर्शन प्रसाद काछी, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
29. श्री धनेश तिवारी, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
30. श्री देवदत्त तिवारी, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
A.R.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1714 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 09/07/2020


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24-01-2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 01-04-2008, दिनांक 04-08-2008 तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 07-11-2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 30-10-2010 तथा परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 30-09-2014 के परिपेक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर के निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके द्वारा 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30-10-2010 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई दिनांक से प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 30-09-2014 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई दिनांक से तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक
1.	श्री बाबू लाल	अशर	—	—	14-12-2018
2.	श्री हनीफउद्दीन	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	—	15-09-2017	—
3.	श्री राकेश	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	—	21-09-2018	—



क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक
4.	श्री नरेश कुमार	सफाईवाला	05-10-2017	-	-
5.	श्री विद्या राम	कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट	05-12-2018	-	-

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1715 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह


जबलपुर, दिनांक 09/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की ओर इस अनुरोध के साथ कि उच्चतर वेतनमानों में शासकीय सेवक का वेतन नियतन पश्चात् वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
3. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
12. श्री बाबू लाल, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

13. श्री हनीफउद्दीन, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
14. श्री राकेश, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
15. श्री नरेश कुमार, सफाईवाला, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
16. श्री विद्या राम, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शनि शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
P.S.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/1716 /
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

जबलपुर, दिनांक 09/07/2020

श्री रविन्द्र पाटिल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन अयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रं. एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./1999, दिनांक 17-3-99/19-04-99, एफ-1-1/1 वे.आ.प्र./99 दिनांक 03.05.2000/17-05-2000 एवं एफ-5-4/1/वे.आ.प्र./98, दिनांक 27-3-2001/29-03-2001 के परिपेक्ष्य में उनके द्वारा 12 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा एक ही केडर में पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान रूपये 3500-80-4700-100-5200/- पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 5200-20200 + ग्रेड पे रू. 2100/- दिनांक 11-12-2007 से स्वीकृत किया जाता है तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24-01-2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 01-04-2008, दिनांक 04-08-2008 एवं दिनांक 24-09-2008 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11-13/1661/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21-09-2016, परिपत्र क्रमांक एफ 11-5/211/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25-05-2017, तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के परिपत्र फा.क्र. 2384/2017/21-ब (एक), भोपाल, दिनांक 31-05-2017/08-06-2017 एवं परिपत्र फा.क्र. 4151/2017/21-ब (एक), भोपाल, दिनांक 25-09-2017 के परिपेक्ष्य में उनके द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-09-2008 के संलग्न परिशिष्ट में वाहन चालक हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार दिनांक से 01-01-2016 से द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


68.7.2020
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Per

पृष्ठांकन क्रमांक C/1717 /


जबलपुर, दिनांक 09/07/20

चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर की ओर इस अनुरोध के साथ कि उच्चतर वेतनमानों में शासकीय सेवक का वेतन नियतन पश्चात् वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
3. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
12. श्री रविन्द्र पाटिल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
Per